

मानिक या मातिमढ़ बच्चों के शौकिक प्रावधानों का वर्णन —

मानासिक मानिक बालकों की शिक्षा अष्टयापकों सब अभिभावकों के समाज अवयव चुनौतीपूर्ण समर्थ्या के रूप में उपाख्यित होती है। इन बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर तरह छ्यान दैन पर पहले के कारण इस पुरी व्यवस्था को 'विशेष शिक्षा' के नाम से अभिहित किया जाता है। विशेष शिक्षा का प्रावधान करने के लिए ऊपोष्टि साज - सज्जा, समर्गी रखने वालों को छुटाने हेतु पर्याप्त धनराशी की व्यवस्था करना समाज का उत्तरदायित्व है। मानिक बालकों की शिक्षा का जिद्दशान 'वैयक्तिकता' के सिद्धान्त पर निर्भर है।

आलिवर पी. कोलेस्टो ने मानासिक मानिक बालकों के लिए अधिकाम कार्य चाहित करने हेतु कुछ विशेष सिद्धान्तों का उल्लेख किया है —

① आधिगम कार्य जातिल जाही होना चाहिए। नवीन आधिगम कार्य में कम - से कम तत्वों का समर्पण होना आवश्यक है और इनमें से आधिकांश तत्व परिचित होने चाहिए।

② आधिगम कार्य होता होना चाहिए जिससे बालक उनकी उपेक्षा न कर सके।

③ आधिगम कार्य में निहित सीपानी की क्रान्तिकारी रूप से प्रतुत करना आवश्यक है। साथ ही, इन सीपानी का आकार अपेक्षाकृत होता होना चाहिए जिससे बालक लुटे जे कर सके।

④ आधिगम प्रक्रिया के अन्तर्गत बालक की प्रत्येक प्रयास पर सफलता का अनुभव कराना सर्वथा अपेक्षित है, जिससे उनकी रुचि रख आग्नीपुरणा बनी रहें।

⑤ सन्दित बालकों के लिए आग्नीकाल्पित अनेक शोषणकार्यक्रमों में आग्नीक्रमित आधिगम पर आधारित अध्ययन सामाजिकों के अनुप्रयोग लेने की संस्तुति की जाती है।

साजासिक मन्दित बालकों
हेतु अष्टयापक की सूमिका —

माजासिक मन्दबुद्धि बालकों
की शिक्षा के सेवा में रखें
बड़ी आवश्यकता यह है कि
उनके लिए विशेष विद्यालय हों
तथा शिक्षक प्रशिक्षित हों।
इसके उत्तरिक्त भी शिक्षकों की
कृष्ण विशेषताएँ होनी चाहिए कि
वे मन्दित बालकों को सहज
व उपयोगी शिक्षा दे सकें।
इसके लिए अष्टयापक का विशेष
प्रशिक्षित व व्यावहारिक होना
आवश्यक है —

① अष्टयापक को बालकों का सम्मान
करना चाहिए।

② शिक्षकों को बालकों की स्थिता,
परामर्श और निर्देशन देने के
लिए — तैयार रहना चाहिए।

शिक्षकों को बालकों का सक या
दी हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण
देने में कुशल होना चाहिए।

④ शिक्षक से बालकों के पुति प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता का व्यवहार करने का गुण हीना चाहिए।

मानसिक मन्दित बालकों के लिए शिक्षिक प्रावधान —

जब बालक न पढ़ने के योग्य देखा जाता है अर्थात् वह सामान्य रस्कूल पाठ्यक्रम से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता तो उसे रस्कूल से निकाल दिया जाता है। इसका कारण होता है - उनकी बहुत कम मानसिक योग्यता। इन मानसिक अकूम बालकों के सामाजिक समायोजन को दूर घर, अनुचित वालावरण प्रभावित करता है।

मानसिक रूप से मन्दित बालकों के लिए शिक्षिक व्यवस्था संपर्क, प्रबन्धित तथा माली प्रकार निर्देशित हीना चाहिए। जहाँ पर पढ़ाई का प्रत्येक सामान उपलब्ध हीना चाहिए। अच्छी कक्षाओं का प्रबन्ध हीना चाहिए। गिरषीष कक्षा के लिए जिले में योजना इस प्रकार हीना चाहिए।